कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा

पत्रांक :– 711 / 18 सी0 दिनांक :– 04/03/14

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
आगरा ।

विषय :–भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को जनपद आगरा में बाह कचौरा घाट मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0–82 चैनेज 81.665 पर ग्राम – कमलपुरा, तहसील बाह, जिला आगरा में पेट्रोलियम रिटेल–आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिए जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :–आपका पत्रांक 722 / आब0सहा0 दिनांक 20.12.2013 ।

कृपया अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके तारतम्य में मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा के पत्रांक 2266 / 116 सी0–आ0क्षे0 / 14 दिनांक 21.02.2014 (जिसकी छायाप्रति संलग्न है) में दिए गए निर्देशानुसार पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाने की संस्तुति निम्न शर्तों पर की जाती है:–

1. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0 12–2009 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व **मै0 भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0** का होगा।
2. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की विशिष्टियों के अनुरूप कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईड खन्ती में 1.00 मी0 चौड़ाई का ड्रैन बनाकर उसके ऊपर स्टील पाईप के केटिल कैचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साईड ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली / नाले में बह सके। किसी भी दशा में नाली / नाले को बन्द नहीं किया जाएगा साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी दशा में सड़क पर न आने पायें।
4. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0, मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0–13 के अनुसार निर्मित की जाएगी।
5. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के Paved Area का लेबिल सड़क के पेन्टेड सतह के मध्य बिन्दु के लेबिल से 0.50 मी0 नीचे रखा जाए।
6. बफर स्ट्रिप के पास हैजेज की ऊँचाई 60 से0मी0 से ऊपर न रखी जाए।
7. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0 मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाए तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाए। मार्ग के मध्य से 30 मी0 की दूरी से कम पर कोई भवन निर्माण नहीं होना चाहिए।
8. प्रस्तावित स्थल के 300 मी0 दोनों ओर कोई रोड क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए।
9. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा।

10. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने से पूर्व प्रार्थी को अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0, आगरा से लाईसेन्स डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है। इसका पालन न करने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जायेगा।

11. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाए, इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

12. आई0आर0सी0 के अनुसार मार्ग पर 300 मी0 दूरी तक कोई पेट्रोल पम्प स्थापित नहीं है। सुनिश्चित किया जाए।

13. लो0नि0वि0 मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ़्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही उक्त कार्य करना होगा। इस क्षति के लिए किसी प्रकार मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

14. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्राँसपोर्ट एण्ड हाइवे (MORTH) भारत सरकार के पत्र सं0 आर0डब्ल्यू0 / एन0एच0– 33023–19 / 99–डी0ओ0–III दिनांक 31.08.2000 एवं पत्रांक आर0डब्ल्यू0 / एन0एच0– 33023–19 / 99–डी0ओ0–III दिनांक 25.09.2003 / 17.10.2003 में अंकित बिन्दु सं0 6,10 में उल्लेखित है कि आयल कं0 / स्वामी को लाइसेंस डीड जारी करने से पूर्व लो0नि0वि0 / राजकीय भूमि को उपयोग में लाने की फीस रू0 1.00 लाख सहित 15 वर्ष की अवधि के लिए विभाग से इकरारनामा (एग्रीमेण्ट) करना होगा।

संलग्नः–(1) मानचित्र–2 प्रति में।
(2) मुख्य अभियन्ता के पत्र दिनांक 21.02.2014 की छायाप्रति।

5/3/14

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,आगरा

पत्रांकः / दिनांकः / /

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा को उनके पत्रांक 2266 / 116 सी0–आ0क्षे0 / 14 दिनांक 21.02.2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियन्ता आगरा वृत्त, लो0नि0वि0, आगरा को उनके पत्रांक 704 / 118सी0–आ0वृ0 / 14 दिनांक 25.02.2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
3. सहायक अभियन्ता चतुर्थ, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि वह मुख्य अभियन्ता आगरा क्षेत्र लो0नि0वि0, आगरा द्वारा दी गई शर्तों का पालन, निर्माण कार्य से पूर्व अपने स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करें।

   संलग्नः–मुख्य अभियन्ता के पत्र दिनांक 21.02.2014 की छायाप्रति।
4. अवर अभियन्ता (प्रावि0), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा को।

   संलग्नः–मानचित्र की प्रति।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,आगरा